



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2026

भाद्रपद 9, 1948 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1469/वि०स०/संसदीय/58(सं)-2026

लखनऊ, 4 अगस्त, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 4 अगस्त, 2026 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में एतद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया
जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 संक्षिप्त नाम और
कहा जायेगा। प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 24 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 12
सन् 2019 की
अनुसूची-2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची-2 में, क्रम-संख्या 52 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम-संख्या और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
53	मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	सनहिल हेल्थकेयर प्रा0 लि0, नोएडा

कठिनाइयां
दूर करने
की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्वधीन, चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2026) और उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2026) एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सहप्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् मेट्रो विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची-2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 जून, 2026 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री,
उच्च शिक्षा।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

**UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1**

No. 248/XC-S-1-26-23S-2026
Dated Lucknow, August 31, 2026

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Niji Vishvavidyalaya (Sanshodhan) Vidheyak, 2026" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 4, 2026.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)
BILL, 2026

A
BILL

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2026.

Short title and
commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th day of April, 2026.

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 52, the following serial number and the entries relating thereto shall be *inserted*, namely:-

Amendment of
Schedule-2 of
U.P. Act no. 12
of 2019

Sl.no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
53	Metro University, Greater Noida, Uttar Pradesh	Sunhill Health Care Pvt. Ltd., Noida

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of Metro University, Greater Noida, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette*, direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Power to remove
difficulties

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature, as soon as may be, after it is made.

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Ordinance, 2026 (U. P. Ordinance no. 10 of 2026) and the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance no. 15 of 2026) are hereby repealed.

Repeal and
saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred is in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act No. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new Private University namely, Metro University, Greater Noida, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule-2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Second Amendment) Ordinance, 2026 (U.P. Ordinance No. 15 of 2026) was promulgated by the Governor on June 4, 2026.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGENDRA UPADHYAY

Mantri,

Uchcha Shiksha.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.